22.09.2022

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। बाद में प्रथम पक्ष की मृत्यु हो गया है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया गया था कि प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी के आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण दाखिल करे। परन्तु प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता दाखिल करने में असमर्थ रहा। प्रतीत होता है कि विवादित भूमि को लेकर शांति भंग होने की संभावना नहीं है अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

22/09
अनु० दं०अ०
[illegible]

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:47:08 +05:30
Location: 10.93.79.10